शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वॉ तल, "सी" – विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी. एस्टेट,नई दिल्ली–110002.

एफ.53(06)/अता.प्र.06/चतुर्थ सत्र(चतुर्थ–भाग)2023/दिविस/श.वि./6249 दिनांकः 20/11/2024

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

विषयः सातवीं दिल्ली विधानसभा के चतुर्थ सत्र का (चतुर्थ–भाग) 2023 अतारांकित प्र0 सं. 06 मान्नीय विधायक श्री संजीव झा दिनांक 15.12.2023 को हुई सदन की बैठक के सन्दर्भ में।

महोदया/ महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में वर्णित विधानसभा प्रश्न के उत्तर की प्रतियॉ माननीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित की गई अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं।

भवदीय

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

शहरी विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार

9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.

मान्नीय विधायक का नाम : श्री संजीव झा

दिनांक : 15.12.2023

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 06

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि नगर निगम चुनाव 2022 के दौरान बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र –02 के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं;	मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः– इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूची तैयार की जाती है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची का विशेष सारांश पुर्नरीक्षण/निरंतर अद्ययतन आदि के माध्यम से वार्षिक आधार पर मतदाता सूची को अद्यतन किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग की नीति के अनुसार, विधानसभा क्षेत्रवार मतदाता सूची का डेटा अनुरोध के आधार पर राज्य चुनाव आयोग, दिल्ली के साथ साझा किया जाता है, जिसे केवल राज्य चुनाव आयोग द्वारा एमसीडी चुनावों में उपयोग के लिए वार्डवार मतदाता सूची में परिवर्तित किया जाता है। दिल्ली नगरपालिका अधिनियम, 1957 की धारा 7ई के अनुसार, राज्य चुनाव आयोग, दिल्ली प्रत्येक आम चुनाव से पहले प्रत्येक वार्ड के लिए मतदाता सूची तैयार कर सकता है, जैसा कि नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची को अपना सकता है जोकि वार्ड से संबंधित है या किसी वार्ड या वार्ड के किसी हिस्से के लिए मतदाता सूची के विशेष पुर्नरीक्षपण का निर्देष भी दे सकता है, जैसा वह उचित समझे। एमसीडी चुनाव, 2022 के सम्बन्ध में, राज्य चुनाव आयोग के अनुरोधों पर, दिनांक 01.01.2022 की अर्हता तिथि के अनुसार 14.11.2022 तक (अर्थात् नामांकन की अंतिम तिथि तक) की अवधि का मतदाता सूची डेटा, 19.10.2022, 09.11.2022 और अंतिम बार 15.11.2022 को राज्य चुनाव आयोग, दिल्ली को सौंप दिया गया था। एमसीडी चुनावों का मतदान 04.12.2022 को आयोजित किया गया था। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि एक बार चुनावी डेटा राज्य चुनाव आयोग, दिल्ली को सौंप दिए जाने के बाद, उक्त डेटा में एमसीडी चुनाव, 2022 के संचालन के लिए कोई भी बदलाव केवल राज्य चुनाव आयोग, दिल्ली द्वारा अपनी उपयुक्तता के अनुसार ही किया जा सकता था।

		चूंकि, प्रश्न स्पष्ट रूप से एमसीडी चुनाव, 2022 के दौरान किए गए विलोपन के संबंध में पूछा गया है, इसलिये एमसीडी चुनाव, 2022 की अवधि (अधिसूचना की तारीख, 07.11.2022 से चुनाव सम्पूर्ण होने तक की तारीख 15.12.2022 तक) के दौरान नामों को हटाने सहित किसी भी बदलाव के बारे में उत्तर, राज्य चुनाव आयोग, दिल्ली के द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। **राज्य चुनाव आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** In this connection I am directed to inform you that Electoral Roll data received from CEO, Delhi in SQL format during General Election to MCD-2022 was bifurcated ward wise as per delimitation Order-2022 and further verified by the then concerned ROs. SEC had not carried out any Addition/deletion/modification in the said Electoral Roll.
ख	यदि हाँ, तो नगर निगम चुनाव 2022 के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं का विवरण नाम, पता, बूथ संख्या, पोलिंग स्टेशन सहित उपलब्ध करवाएं; और	**मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं है।
ग	यदि किसी मतदाता का नाम हटाया जाता है तो उसको दोबारा मतदाता सूची में शामिल करने की क्या प्रक्रिया है, पूर्ण विवरण दें ?	**मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म –6 भरना पड़ता है एवं अग्रिम कार्यवाही भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाती है।